'जयपुर में 5000 करोड़ के वेटरनरी कॉलेज पर पिछले पांच साल से अवैध कब्जा'

डॉ.किरोड़ी मीणा और कॉलेज संस्थापक 92 वर्षीय डॉ. राज खरे ने ए.सी.बी. मुख्यालय पहुंचकर धरना दिया

डॉ. राज खरे ने ए.सी.बी. मुख्यालय पर धरना दिया।

- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से 20 दिन पहले डॉ. खरे को मिलवाया था, तब सी.एम. ने तुरंत कार्रवाई का आश्वासन दिया था, लेकिन ए.सी.बी. और पुलिस के अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं : डॉ. किरोड़ी
- मंत्री किरोड़ी लाल ने कहा कि "मुख्यमंत्री द्वारा कार्रवाई के लिये कहने के बावजूद 92 वर्षीय डॉक्टर ए.सी.बी. में खड़ा है। हमारी सरकार सवेदनशील हैं, लेकिन यहां शून्यता क्यों?"
- पूर्व उपराष्ट्रपति और पूर्व मुख्यमंत्री स्व.भैंरोसिंह शेखावत ने अमेरिका जाकर डॉ.खरे को राजस्थान में निवेश का न्यौता दिया था, इसके बाद डॉ. ने जयपुर में करोड़ो रुपये लगाकर आगरा रोड पर वेटरनरी कॉलेज की स्थापना की थी।
- पीड़ित डॉ. राज खरे ने 9 दिसंबर से जयपुर में हो रहे राइजिंग राजस्थान के विरोध की घोषणा करते हुए कहा कि "एक तरफ राजस्थान सरकार निवेशकों को बुलाने की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ हम जैसे निवेशकों के साथ धोखा हो रहा है।"

जयपुर। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा शुक्रवार को वयोवृद्ध चिकित्सक डॉ.राज खरे के साथ झालाना स्थित भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) मुख्यालय पहुंचे। जहां उन्होंने आगरा रोड पर 5000 करोड़ के वेटरनरी कॉलेज पर कब्जा करने की शिकायत की। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि पूर्व उपराष्ट्रपति और पूर्व मुख्यमंत्री स्व.भैरोंसिंह शेखावत ने अमेरिका जाकर डॉक्टर राज खरे को राजस्थान में निवेश का न्यौता दिया था। इसके बाद इन्होंने करोड़ों रुपए लगाकर जयपुर में आगरा रोड पर बहुत बड़ा अपोलो वेटरनरी कॉलेज खोला था। जो मौजूदा वक्त में 4 से 5 हजार करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। पिछले कुछ सालों में वहां असामाजिक तत्वों ने कब्जा कर लिया है। डॉ. राज खरे वर्ष 2019 से राजस्थान सरकार के चक्कर ही काट रहे हैं। एसीबी में भी इन्होंने तीन केस दर्ज कर दिए। तीनों विभिन्न जांच अधिकारियों से प्रमाणित भी है। परंतु कहीं कोई सुनवाई या कार्रवाई नहीं हो रही है। कोर्ट ने इस मामले में काला धन इकट्ठा होने का भी अंदेशा जताया है। इसके खिलाफ ईडी और इनकम टैक्स में भी शिकायत करने की तैयारी की जा रही है। कोर्ट ने अतिक्रमियों के खाते भी सीज कर दिए थे। परंतु कुछ वक्त बाद ही न जाने किस वजह से उनके खातों को फिर से खोल दिया गया है।

मंत्री किरोड़ी ने एसीबी ऑफिस में नाराजगी जताते हुए कहा कि, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कार्रवाई के लिये कह दिया, इसके बाद भी 92 साल का बुजुर्ग एसीबी के दरवाजे पर खड़ा है। मैं इसे उचित नहीं मानता। यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमारी सरकार संवेदनशील है, लेकिन यहां पर न जाने संवेदन शून्यता क्यों है? यह मेरे भी समझ से बाहर है। किरोड़ीलाल ने कहा कि राजस्थान में निवेशकों को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर निवेशक की प्रॉपर्टी पर ही कब्जा हो गया। सरकार को जल्द से जल्द कब्जा हटाकर निवेशकों की प्रॉपर्टी फिर से इन्हें दिलानी चाहिए।

मुख्यमंत्री की सुनवाई क्यों नहीं हो रही, इस सवाल पर किरोड़ी ने कहा कि इस जवाब तो मुख्यमंत्री ही दे सकते हैं। मैं मंत्री हूं, मेरे विभाग में तो अधिकारी मेरी सुनते ही हैं भाई। किरोड़ीलाल ने कहा कि डॉक्टर खरे ने पूरे राजस्थान के युवाओं के लिए कॉलेज खोला था। ताकि राजस्थान के युवा वेटरनरी शिक्षा हासिल कर सकें। मौजूदा वक्त में वहां कुल 500 स्टूडेंट्स हैं। इनमें से महज 200 ही राजस्थान के है। वहीं, बाहर के लोगों से बड़ी फीस लेकर उन्हें कॉलेज में एडमिशन दिया जा रहा है। इसकी शिकायत भी दी जा चुकी है। जो अदालत के आदेश के बाद प्रमाणित है। इसके तहत आरोपियों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए।

मंत्री किरोड़ी ने कहा कि इस मामले को लेकर मैं डॉ. राज खरे को 20 दिन पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से भी मिलाने ले गया था। मुख्यमंत्री ने हमें कार्रवाई का आश्वासन दिया था। उन्होंने आईजी मुख्यमंत्री सिक्योरिटी गौरव श्रीवास्तव से इस मामले पर कार्रवाई के लिए भी कहा था। परंतु गौरव श्रीवास्तव ने डॉ.खरे से मुलाकात करना तक मुनासिब नहीं समझा। इसकी वजह से 92 साल का बुजुर्ग दर-दर की ठोकर खाने को मजबूर हो रहा है। एसीबी में भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसके खिलाफ आज यह यहां पर धरना दे रहे हैं। किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि डॉक्टर खरे पिछले 5 महीने से अमेरिका छोड़कर जयपुर में रह रहे हैं। उनके बच्चे इन्हें बुला रहे हैं। कोई बात नहीं आपकी प्रॉपर्टी डूब गई। उसे छोड़कर फिर से अमेरिका आ जाओ। इनकी यही मांग है कि जब तक उनकी प्रॉपर्टी आम जनता के काम नहीं आएगी। यहां से कहीं नहीं जाएंगे। अभी यह डीजी के कमरे में धरना दे रहे थे, लेकिन मैं इन्हें समझा कर नीचे लाया हूं। अब यह यहां पर धरने पर बैठे हैं।

डॉ राज खरे ने कहा कि एक तरफ राजस्थान में सरकार निवेशकों को बुलाने की बात कर रही है। दूसरी ओर हम जैसे निवेशकों के साथ धोखा हो रहा है। ऐसे में मैं अब 9 दिसंबर से शुरू होने जा रहे राइजिंग राजस्थान का भी विरोध करूंगा। आज में एसीबी मुख्यालय में धरना देकर अपने विरोध की शुरुआत कर रहा हूं। ताकि दुनिया भर के निवेशकों को पता चल सके राजस्थान में किस तरह निवेशकों के साथ धोखा होता है।

राज्यपाल ने "आदि महोत्सव 2024" का शुभारंभ किया

राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागडे ने जवाहर कला केंद्र के शिल्प ग्राम में जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, ट्राइफेड द्वारा आयोजित "आदि महोत्सव" का शुभारम्भ किया।

जयपुर। भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के ट्राइफेड क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर की ओर से आदि महोत्सव 2024 का आयोजन 29 नवंबर से 8 दिसंबर तक किया जा रहा है। राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागडे ने आज जवाहर कला केंद्र के शिल्प ग्राम में जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, ट्राइफेड द्वारा आयोजित "आदि महोत्सव" का शुभारम्भ किया। उन्होंने इस अवसर पर महोत्सव में देशभर के राज्यों से भाग लेने वाले शिल्पकारों, कलाकारों का अभिनंदन करते हुए आम जन से आव्हान किया कि दैनिक जीवन में जनजातीय उत्पादों का अधिकाधिक उपयोग किया जाए।

बागडे ने समारोह में बिरसा मुंडा की स्मृति को नमन करते हुए कहा कि वह अंग्रेजों से ही नहीं लड़े बल्कि आदिवासी क्षेत्रों में निरंतर जागरूकता का कार्य किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर 2021 से प्रतिवर्ष हमारे यहां 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है। यह दिवस जनजातीय परंपराओं को सहेजने, उनके विकास और उनके समग्र कल्याण को समर्पित है।

राज्यपाल ने आदिवासी परंपराओं के संरक्षण पर जोर देते हुए प्रकृति पोषण से जुड़े उनके कार्य अपनाए जाने की आवश्यकता जताई। उन्होंने जनजातियों के समग्र विकास के लिये उनसे जुड़े क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उनके आजीविका के अधिकाधिक अवसर प्रदान करने की आवश्यकता जताई। उन्होंने कहा कि देश की गरीबी तभी कम होगी जब राष्ट्र के बच्चे पढ़ेंगे।

नगर निगम ग्रेटर की महापौर डा. सौम्या गुर्जर ने आदि महोत्सव को वोकल फोर लोकल मुहिम को आगे बढ़ाने वाला बताया। ट्राइफेड के क्षेत्रीय प्रबंधक संदीप शर्मा ने सभी का स्वागत व धन्यवाद ज्ञापन दिया।

इस महोत्सव में प्रतिदिन शाम को जनजातीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान (टी.आर.आई.) उदयपुर, राजस्थान सरकार और केंद्रीय संचार ब्यूरो, भारत सरकार तथा नगर निगम ग्रेटर, जयपुर के समन्वय से किया जाएगा। इस मेले मे राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्यप्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड तथा नॉर्थ ईस्ट के जनजातीय कारीगर , शिल्पकार भाग लेंगे।

'सिरसी रोड पर प्रभावितों को सुनकर जे.डी.ए कार्रवाई करे'

- सिरसी रोड बाईपास से क्वींस रोड तिराहे के बीच आने वाले अतिक्रमणों को हटाने का मामला

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने जेडीए को कहा है कि वह सिरसी रोड बाईपास से क्वींस रोड तिराहे के बीच आने वाले अतिक्रमणों को हटाने से पहले प्रभावितों सुनवाई का मौका देकर विधि सम्मत कार्रवाई करे। इसके साथ ही अदालत ने इस संबंध में दायर जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया है। सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस उमाशंकर व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश विजय कुमार बोयत की जनहित याचिका में दायर प्रभावितों तुलसी देवी व अन्य की ओर से दायर प्रार्थना पत्र पर दिए। अदालत ने पूर्व में जेडीए को दो माह में यहां से अतिक्रमण हटाने को कहा था।

प्रार्थना पत्र में अधिवक्ता अजय चौधरी ने बताया कि प्रभावित व्यापारियों को सुने बिना खंडपीठ ने उन्हें अतिक्रमी मानकर पूर्व में आदेश पारित किया है। ऐसे में अदालती आदेश की आड़ में अब उन्हें सीधे हटाया जा रहा है। जबकि कई व्यापारियों के पास वैध दस्तावेज भी हैं। वहीं हाईकोर्ट की ओर से उन्हें अतिक्रमी मानने पर अब उन्हें किसी अन्य स्तर पर राहत भी नहीं मिल सकती। ऐसे में खंडपीठ के पूर्व के आदेश को वापस लिया जाए और उनका पक्ष भी सुना जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने जेडीए को निर्देश देते हुए जनहित याचिका का निस्तारण कर दिया। प्रभावितों के वकील ने बताया कि खंडपीठ ने माना कि सड़क की चौडाई और अतिक्रमण पर कार्रवाई के लिए जेडीए अधिकृत है। गौरतलब है कि खंडपीठ ने गत 21 नवंबर को जेडीए को आदेश दिए थे कि वह अतिक्रमी को नोटिस देकर दो माह में सड़क को अतिक्रमण मुक्त करे। इस पर प्रभावितों की ओर से प्रार्थना पत्र दायर कर आदेश को वापस लेने की गुहार की गई थी।

पंचायत समितियों में कार्यरत हैंडपंप मिस्त्रियों को पदोन्नति के अवसर क्यों नहीं : हाईकोर्ट

जयपुर। राजस्थान हाई कोर्ट ने ग्रामीण विकास विभाग में नियमित तौर पर काम कर रहे हैंडपंप मिस्त्रियों को पदोन्नति के अवसर नहीं देने से जुडे मामले में प्रमुख ग्रामीण विकास सचिव, प्रमुख कार्मिक सचिव, ग्रामीण विकास आयुक्त और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद करौली सहित अन्य से जवाब देने के लिए कहा है। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह व वीके भारवानी की खंडपीठ ने यह आदेश राजेंद्र सिंह यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने बताया कि याचिकाकर्ता पंचायत समिति हिंडौन सिटी में हैंडपंप मिस्त्री के पद पर काम कर रहा है। उसे जनवरी 1996 से नियमित वेतन श्रृंखला दी गई। वहीं राज्य सरकार ने राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 258 एवं 259 में संशोधन किया। इसके तहत नियम 258 से हैंडपंप मिस्त्री और फिटर की पोस्ट सृजित की गई और नियम 259 में संशोधन कर फिटर के पद को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से डेपुटेशन से भरने के लिए कहा। याचिका में कहा गया कि फिटर का पद हैंडपंप मिस्त्री का पदोन्नति पद है और इसे पंचायती राज विभाग की ओर से पदोन्नति के जरिए ही भरा जाना चाहिए। इस संशोधन के कारण याचिकाकर्ता सहित अन्य कर्मचारी अपने पदोन्नित के अवसर से वंचित हो रहे हैं। वहीं उन्हें पूरे सेवाकाल में पदोन्नति पद नहीं मिलेगा। यह संविधान में दिए समता के अधिकार की अवहेलना है। ऐसे में उसे पदोन्नति का लाभ दिलाया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

'मदन राठौड़ को धमकी देने वाला हेतराम मेघवाल गिरफ्तार'

जयपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि शुक्रवार सुबह 11.44 बजे मोबाइल पर अनजान नंबरों से किसी हेतराम मेघवाल उर्फ लादूनाथ नाम के व्यक्ति द्वारा जान से मारने की धमकी दी और गाली गलौज करते हुए अपशब्दों का इस्तेमाल किया। इसके बाद दिल्ली पुलिस को मामले की सूचना देते हुए एफआइआर दर्ज करवाई गई। पुलिस ने आरोपित व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। राठौड़ ने बताया कि मेरा स्वभाव है मैं मोबाइल पर आने वाले हर कॉल का जवाब देता हूं, शायद कोई जरूरत मंद को मदद की आवश्यकता हो। इसलिए मैंने अनजान नंबर से आए फोन को रिसीव किया। पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि आरोपित हेतराम मेघवाल एक राजनीतिक दल के किसी नेता का सहयोगी भी रह चुका है और धमकी देना स्वीकार कर चुका है। हालांकि पुलिस द्वारा पूछताछ में यह भी सामने आया है कि आरोपित हेतराम नशे का आदि है और अपने बयान को बार बार बदल रहा है। आरोपित हेतराम कभी इस मामले को देवली-उनियारा के निर्दलीय प्रत्याशी से भी जोड़ रहा है।

राठौड़ ने कहा कि पुलिस ने रजिस्ट्रर्ड मोबाइल नंबर की जांच की तो यह नंबर आशीष कुमार के नाम से जारी किया गया था। आशीष ने बताया कि इस नंबर की सिम उसके पिता हेतराम मेघवाल इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद अनूपगढ़ (गंगानगर) पुलिस ने आरोपित हेतराम को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपित हेतराम कभी कलेक्टर, कभी किसी अन्य राजनेताओं को भी धमकी दे चुका है। हेतराम कभी अपने आप को बिहार का बता रहा था, तो कभी अनूपगढ़ का। पुलिस ने जांच के बाद अनूपगढ़ से आरोपित व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि पंजाब के नजदीकी इलाकों में नशे का कारोबार तेजी से पांव पसार रहा है, आरोपित आदतन नशेड़ी भी हो सकता है।

आमजन की सहूलियतों में वृद्धि राज्य सरकार की प्राथमिकता : भजनलाल शर्मा

- स्वायत्त शासन विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर निकायों में आधारभूत विकास कार्य समय से हों पूरे

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान के नगर निकायों में आधारभूत विकास कार्यों के माध्यम से आमजन की सहूलियतों में वृद्धि राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि केन्द्र व राज्य सरकार की नगरीय निकायों से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाओं का धरातल पर समयबद्धता के साथ क्रियान्वयन किया जाए, जिससे विकसित राजस्थान की संकल्पना साकार हो सके।

शर्मा शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में स्वायत्त शासन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वित्तीय वर्ष 2024-25 की बजट घोषणाओं को गुणवत्ता के साथ समय से पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदूषण मुक्त सुगम यातायात के लिए प्रमुख शहरों में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की कार्ययोजना को जल्द पूरा किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के तहत 300 सीएनजी बसों के संचालन के लिए जरूरी कार्यवाही प्रारम्भ करने के निर्देश दिए।

शर्मा ने कहा कि पीएम आवास योजना शहरी 2.0 अहम योजना है, इसकी निरंतर समीक्षा करते हुए जरूरतमंदों को लाभान्वित किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना मेहनतकश व्यक्ति के लिए मददगार साबित हो रही है, इस योजना के तहत चरणबद्ध किश्तों को समय से जारी कर पात्र व्यक्ति को लाभान्वित किया जाए। उन्होंने प्रदेश में संचालित श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि आमजन को परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता सदैव सुनिश्चित रहे, साफ-सफाई का ध्यान रखा जाए एवं समय-समय पर इन रसोइयों का औचक निरीक्षण भी किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अमृत 2.0 के तहत शहरी निकायों में जलापूर्ति, सिवरेज, जल निकायों के जीर्णोद्धार कार्यों में गति लाई जाए, जिससे आमजन लाभान्वित हो सके। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, यूज्ड वाटर मैनेजमेंट एवं सैनिटेशन कार्यों की समीक्षा की एवं निर्देश दिए कि इन्हें समय से पूरा किया जाए। उन्होंने स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्धता के साथ राज्य सरकार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से पात्र व्यक्ति को इस योजना से लाभान्वित किया जाए।

शर्मा ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि राजस्थान शहरी अवसंरचना विकास परियोजना के तहत पेयजल, सिवरेज, ड्रेनेज एवं शहरी सौन्दर्यीकरण के विभिन्न विकास कार्यों को समय से पूरा किया जाए। उन्होंने सफाई मित्र सम्मान योजना को शीघ्र प्रारंभ करने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए।

इस अवसर पर स्वायत्त शासन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) झाबर सिंह खर्रा, मुख्य सचिव सुधांश पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय शिखर अग्रवाल, प्रमुख शासन सचिव स्वायत्त शासन राजेश यादव, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय आलोक गुप्ता, निदेशक स्थानीय निकाय कुमार पाल गौतम, आयुक्त नगर निगम ग्रेटर रूक्मणि रियार, आयुक्त नगर निगम हैरिटेज अरूण कुमार हसीजा सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी सामग्री केंद्र (सी-मेट) (वैज्ञानिक सोसायटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई), भारत सरकार)
मुख्यालयः एसवाई.सं.34/2बी, पंचवटी, डॉ.होमी भाभा रोड, एनसीएल (पी.ओ.), पुणे 411008 वेबसाइटः http://www.cmet.gov.in

विज्ञापन संख्या 001/2024

सी-मेट, उत्कृष्ट शैक्षणिक रिकॉर्ड और प्रासंगिक कार्य अनुभव रखने वाले भारतीय नागरिकों से सीधी भर्ती/समावेशन/प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) के आधार पर सी-मेट मुख्यालय में रजिस्ट्रार पद के लिए ऑफलाइन आवेदन आमंत्रित करता है-

क्र. सं.	पद का नाम एवं वेतन मैट्रिक्स स्तर	पद की संख्या	वर्ग	भर्ती का तरीका	ऊपरी आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01	रजिस्ट्रार पीएमएल-13 रू.123100-215900	01	ए-यूआर	सीधी भर्ती/आमेलन/प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित): कार्यकाल 5 वर्ष तक	50 वर्ष

निर्धारित प्रारूप, आयु, योग्यता और अन्य जानकारी सी-मेट की वेबसाइट www.cmet.gov.in पर उपलब्ध है। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि रोजगार समाचार में विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से 30 दिन होगी।

CBC 06169/12/0002/2425 एसडी-रजिस्टर (ए)

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को धमकी गंभीर विषय : जूली

जयपुर। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा है कि केन्द्र व राज्य में भाजपा का राज है और संसद के शीतकालीन सत्र के चलते दिल्ली में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व राज्य सभा सांसद मदन राठौड़ को जान से मारने की धमकी मिली है। जो कि बहुत गंभीर और चिंताजनक विषय है।

जूली ने कहा कि भाजपा राज में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। ऐसे में आम आदमी की सुरक्षा पर एक गंभीर प्रश्न खड़ा हो गया है। जूली ने कहा कि बड़े दुर्भाग्य कि बात है कि सत्तारूढ़ पार्टी अध्यक्ष को अपनी सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग करनी पड़ रही है।